प्रेषक,

बी०डी० जोशी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 14 जून, 2001

विषय :– बी० एड०, एम० सी० ए०, एम० बी० ए० पाठ्यक्रम तथा अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–ओ०यू०/51/473/2000, दिनांक जनवरी 04, 2000 एवं सचिव कुलाधिपति को संबोधित एवं शासन को पृष्ठांकन अपने पत्र संख्या ओ०यू०/57/919/2000, दिनांक 14.12.2000 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संदर्भ में शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में बी० एड०, एम०सी०ए०, एम०बी०ए० एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास एवं स्नातक स्तर पर बी०एस–सी० भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइक्रोबायलाजी, कम्प्यूटर साइंस, कम्प्यूटर अप्लीकेशन 1, बैचलर ऑफ कम्यूटिंग एण्ड ई– कामर्स एवं डिप्लोमा स्तर पर शैक्षणिक प्रबन्धन में पी० जी० डिप्लोमा, डिप्लोमा कोर्स मेडिकल टैक्निशियन, डिप्लोमा कोर्स इन डाइटिशियन एण्ड न्यूट्रिशियन, डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज, बंगाली, डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (मराठी), डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (तमिल), डिप्लोमा इन इंडियन लैंग्वेज (उर्दू), डिप्लोमा इन संस्कृत, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एण्ड डिजाइनिंग पाठयक्रम प्रारम्भ करने के लिए शासन ने इस प्रतिबन्ध के साथ अनापत्ति देने का निर्णय लिया है कि उक्त पाठ्यक्रम संचालन से शासन पर किसी प्रकार का वित्तीय भार/ उत्तरदायित्व नहीं आयेगा। साथ ही अन्य औपचारिकताएं विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूर्ण कर लेगा।

भवदीय

(बी०डी० जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय निदेशक, एन०सी०टी०ई०, ए०–46 शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर को।

आज्ञा से

(बी०डी० जोशी)